राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रणजीत सिंह बनाम महादेव

तारीख हुक्म	537/2026 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/05/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
20/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बाद सुनवाई युक्तियुक्त आदेश पारित होना अभी शेष है एवं इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा-96 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है जिसके प्रतिउत्तर में अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर अपीलार्थी को प्रशनगत भूमि का क्रेता होना अंकित कर क्रय दिनांक 14/03/2026 होना एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23/05/2018 का होना अंकित कर अपीलार्थी का पीड़ित पक्षकार नही होना प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन अन्तरिम आदेश के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर ही प्रकरण दोनों पक्षों की सुनवाई कर युक्तियुक्त आदेश पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्यायोचित्त समझा जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23/05/2018 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर अस्वीकार कर निस्तारित की जाकर न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी को पक्षकार प्रकरण समायत कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 3 के प्रावधानों का अनुसरण कर युक्तियुक्त आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	